राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड
"निर्वाचन भवन"
मसूरी बाईपास, रिंग रोड देहरादून (उत्तराखण्ड)

संख्या– 113 /रा0नि0आ0अनु–3/612/2005 देहरादूनः दिनांकः 3 मई, 2010

उत्तराखण्ड में जिला योजना समिति के सदस्यों के प्रथम सामान्य निर्वाचन–2010 के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश

"उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007" की अधिसूचना संख्या–1110/विधायी एवं संसदीय कार्य, देहरादून दिनांक 16.07.2007 के क्रम में उत्तराखण्ड शासन पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–161(1)/XII/92(5)/2007/2010 दिनांक 03.03.2010 के द्वारा "उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली–2010" की अधिसूचना संख्या–160/XII/2010/92(5)/2007 दिनांक 03.03.2010 जारी की गयी है। उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली, 2010 के अंतर्गत प्रदेश के जनपदों में जिला योजना समिति के लिए जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार निर्वाचन कराया जाना है। निर्वाचित होने वाले सदस्यों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगीः–

1– निर्वाचन अधिकारी(जि0यो0स0)/सहायक निर्वाचन अधिकारी(जि0यो0स0) का पदाभिहित किया जानाः–

(क) जिलाधिकारी, जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी होंगे(**नियम–6**)। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या–21/रा0नि0आ0अनु0–3/612/2005 दिनांक 09.04.2010 द्वारा समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को अपने जनपद की जिला योजना समिति के निर्वाचन हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।

(ख) उप जिला निर्वाचन अधिकारी/रिर्टनिंग/सहायक रिर्टनिंग आफीसर की नियुक्ति की व्यवस्था नियम (7) में निम्न हैः–

7(1) जिला निर्वाचन अधिकारी इस नियमावली के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन हेतु अपनी सहायता के लिये एक या उससे अधिक अधिकारियों को उप जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

7(2) जिला मजिस्ट्रेट, निर्वाचन को संचालित करने के लिये रिटर्निंग आफीसर होंगे तथा आवश्यकतानुसार सहायक रिटर्निंग आफीसर नियुक्त कर सकेंगे।

7(3) रिटर्निंग आफीसर एवं सहायक रिटर्निंग आफीसर कृत्यों का सम्पादन राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन करेंगे।

2– अधिसूचना का निर्गत किया जाना व नामांकन की कार्यवाहीः–

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी **प्रपत्र–1** में निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना देवनागरी लिपि में, अपने कार्यालय में प्रदर्शित करेंगे तथा जिला पंचायत मुख्यालय एवं जिले के अन्तर्गत आने वाले नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम तथा ऐसे प्रमुख स्थान पर प्रदर्शन हेतु उसकी प्रति भिजवायेंगे **[नियम–10(3)]। (इस निर्देश के साथ निर्धारित किये गये मतपत्रों एवं अन्य समस्त प्रपत्रों को जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी आवश्यकतानुसार स्थानीय**

.....2

स्तर पर मुद्रित करायेंगे। इस हेतु धनराशि आयोग द्वारा आवंटित की जायेगी)

3–जिला योजना समिति के निर्वाचित होने वाले सदस्यों का निर्धारणः–

अधिसूचना संख्या–216/XII/2010/92(5)–2007 दिनांक 18.03.2010 द्वारा जिला योजना समिति के गठन हेतु ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र एवं नामांकित के लिए सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया गया है।

4–प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारणः–

उत्तराखण्ड शासन, पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग के पत्र संख्या–251/XII/2010–92(5)/2007 दिनांक 31.03.2010 द्वारा उत्तराखण्ड जिला योजना समिति 2010 के नियम–8 के प्राविधानों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जिला योजना समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण (परिसीमन) किया गया है।

5–प्रत्याशी एवं मतदाता का निर्धारणः–

उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली 2010 के नियम–4 के उपनियम–5 एवं 6 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जिला योजना समिति के गठन हेतु संबंधित **जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र** के सदस्यों का निर्वाचन संबंधित जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपने में से किया जायेगा तदनुसार प्रत्याशी एवं मतदाता केवल संबंधित जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यगण ही होंगे। **नगर निकाय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र** में सम्मिलित नगर निकायों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से जिला योजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन किया जायेगा, तदनुसार संबंधित नगर निकायो के निर्वाचित सदस्यगण ही निर्वाचन में प्रत्याशी एवं मतदाता होंगे।

6–जिला पंचायत अध्यक्ष एंव उपाध्यक्ष का निर्वाचक व उम्मीदवार होनाः–

जिला पंचायत के अध्यक्ष एंव उपाध्यक्ष जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुने जाते हैं। अतः उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम–2007 की धारा–4(2) एवं उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली–2010 के नियम–4(5) के अनुसार उन्हें जिला पंचायत के सदस्य के रूप में वोट देने का अधिकार होगा तथा उपाध्यक्ष को उम्मीदवार होने का अधिकार भी होगा।

7–नगर निकायों के नगर प्रमुख/अध्यक्ष निर्वाचक नहीं होंगेः–

नगर निगम का अध्यक्ष (नगर प्रमुख), नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष तथा नगर पंचायत का अध्यक्ष यद्यपि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, परन्तु संबंधित अधिनियमों के तहत वह संबंधित नगर निकाय के पदेन सदस्य होते हैं। अतः वह जिला योजना समिति अधिनियम–2007 की धारा–4(2) एवं उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली–2010 के नियम–4(5) के अनुसार जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मतदाता (निर्वाचक) तथा उम्मीदवार नहीं होंगे।

8–प्रस्तावक/अनुमोदकः–

उत्तराखण्ड शासन, पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग–1 ने अपनी अधिसूचना संख्या–246/XII/92(5)/2007 दिनांक 31.03.2010 के द्वारा नियम–12 के अंतर्गत जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन हेतु केवल जिला पंचायत के सदस्य ही प्रत्याशी, प्रस्तावक एवं अनुमोदक होंगे तथा नगरीय क्षेत्रों के लिए संबंधित नगर निकाय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन हेतु केवल संबंधित नगर निकायों के सदस्य ही प्रत्याशी, प्रस्तावक एवं अनुमोदक होंगे। एक व्यक्ति एक से अधिक प्रत्याशियों का प्रस्तावक/अनुमोदक हो सकता है।

कोई व्यक्ति जो जिला पंचायत अथवा जिले की नगरीय निकायों का निर्वाचित सदस्य हो तथा जिला योजना समिति की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित हो और यदि वह जिला योजना समिति के सदस्य पद के लिये होने वाले निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में अपना नाम निर्देशन (प्रत्याशी बनना) चाहता है तो वह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित **प्रपत्र–2** पर निर्धारित दिनांक/दिनांकों को 11:00 बजे पूर्वान्ह और 4:00बजे अपरान्ह के बीच निर्वाचन अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित हो कर या अपने प्रस्तावक या अनुमोदक के माध्यम से निर्वाचन

.....3

अधिकारी को प्रपत्र–2 में यथाविधि भरा हुआ नाम निर्देशन पत्र निर्धारित तारीख/समय सहित प्रस्तुत करेगा **[नियम–12(1)]**।

उम्मीदवार नाम निर्देशन–पत्र पर नाम निर्देशन के लिए सहमति देने के प्रतीक स्वरूप स्वयं हस्ताक्षर करेगा और प्रस्तावक तथा अनुमोदक के रूप में अलग–अलग सदस्य हस्ताक्षर करेंगे **[नियम–12(2)]**।

प्रत्याशी एक या एक से अधिक किन्तु अधिकतम **03 प्रतियों** में नामांकन–पत्र प्रस्तुत कर सकता है। प्रत्याशी केवल अपने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है, अन्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र प्रस्तुत करने पर वह नामांकन पत्र अवैध समझे जायेंगे।

उम्मीदवार से नाम निर्देशन–पत्र **(प्रपत्र–2)** प्राप्त होने पर, निर्वाचन अधिकारी उस पर क्रम संख्या, तारीख एवं समय अंकित करेंगे तथा यथा समय नाम निर्देश की एक ऐसी सूचना जिला पंचायत क्षेत्र से उम्मीदवारों के लिये **प्रपत्र–3प** पर तथा नगर निकाय क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिये **प्रपत्र–3न** पर अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर चस्पा कर देंगे।**(देखें नियम–13)**। नामांकन की अंतिम समय–सीमा समाप्त होने के तुरन्त बाद नामांकन की समेकित सूची जिला पंचायत से निर्वाचित होने वाले सदस्यों के लिए **प्रपत्र–4प** तथा नगर निकाय से निर्वाचित होने वाले सदस्यों के लिए **प्रपत्र–4न** में तैयार की जायेगी, उनकी एक प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जायेगी।

9–<u>नामांकन–पत्रों की जॉच</u> [नियम–14(1)]

नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारित दिनांक, समय व स्थान पर निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उम्मीदवार यथास्थिति जिला पंचायत अथवा जिले की नगरीय निकायों का निर्वाचित सदस्य है। नामांकन पत्रों की जांच के समय उम्मीदवार उसके प्रस्तावक एवं अनुमोदक उपस्थित हो सकते हैं। निर्वाचन अधिकारी, उन्हें यथाविधि प्राप्त हुए नाम निर्देशन–पत्रों का निरीक्षण करने के लिए सभी युक्तियुक्त सुविधा प्रदान करेगें। निर्देशन–पत्रों की जांच की कार्यवाही को किसी भी प्रकार से स्थगित नहीं होने देगें, सिवाय उस स्थिति के जब उक्त कार्यवाही में ऐसे कारणों से रूकावट या बाधा पड़ रही हो जो परिस्थितिवश उनके नियन्त्रण के बाहर हो। यदि किसी परिस्थितिवश नियन्त्रण से बाहर होने पर कार्यवाही स्थगित की जाती है तो उसकी सूचना तत्काल राज्य निर्वाचन आयोग को देंगे।

निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों का परीक्षण करेंगे उन सभी आपत्तियों पर जो किसी नामांकन–पत्र के सम्बन्ध में दी जाय, अपना निर्णय देंगे। उक्त प्रकार की गई आपत्ति के फलस्वरूप किसी विनिश्चिय से या स्वप्रेरणा से किसी ऐसी जांच के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे आवश्यक समझें, के आधार पर स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अपना निर्णय लेंगे। नामांकन पत्र निम्नलिखित किसी भी आधार पर अस्वीकृत किये जा सकते हैं:–

(क) यदि नामांकन पत्र नियत दिनांक, समय व स्थान पर उम्मीदवार द्वारा जमा न किया गया हो।

(ख) यदि उम्मीदवार या प्रस्तावकों या अनुमोदकों का हस्ताक्षर वास्तविक नहीं है या उसे धोखे से प्राप्त किया गया है,

(ग) यदि उम्मीदवार जिला पंचायत या जिले के सम्बन्धित नगर निकाय (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत यथास्थिति जो भी हो) का निर्वाचित सदस्य नहीं है।

(घ) यदि प्रस्तावक या अनुमोदक जिला पंचायत या जिले के सम्बन्धित नगर निकाय (नगर निगम /नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत यथास्थिति जो भी हो) का निर्वाचित सदस्य नहीं है।

(ड) यदि उम्मीदवार ने नामांकन हेतु निर्धारित **प्रपत्र–2** पर अपने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अतिरिक्त किसी अन्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों में भी नामांकन किया हो तो अपने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से भिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हेतु प्रस्तुत नामांकन पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

(ढ) यदि प्रस्तावक अथवा अनुमोदक संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता/निर्वाचक नहीं हैं।

यदि उम्मीदवार द्वारा अपने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक नामांकन पत्र प्रस्तुत किया गया है और उसमें से किसी एक नामांकन पत्र में यथाविधि नाम निर्दिष्ट हो जाये तो वह नाम निर्दिष्ट उम्मीदवार होगा।

.....4

उपर्युक्त आधारों पर निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नामांकन–पत्र पर उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्णय लेंगे और यदि नामांकन पत्र अस्वीकृत किया गया हो वह ऐसी अस्वीकृति के कारणों का एक संक्षिप्त विवरण अंकित करेंगे।

सभी नामांकन पत्रों की जांच और उसको स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के विनिश्चयों/निर्णयों के अभिलिखित हो जाने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी विधिमान्य रूप से नाम–निर्दिष्ट उम्मीदवारों की सूची देवनागरी वर्णमाला क्रम में उनके निर्वाचक नामावली में अंकित पते के साथ यथास्थिति **प्रपत्र–5प तथा प्रपत्र–5न** में तैयार करेंगे और इसे अपने सूचनापट पर चिपकवाकर सूची की प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित करेंगे।

10–उम्मीदवारी से नाम वापस लेना:–

निर्धारित तारीख, स्थान एवं समय पर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार स्वयं उपस्थित होकर लिखित स्वहस्ताक्षरित नोटिस **प्रपत्र–6** के माध्यम से अपनी उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले सकता है। नोटिस (प्रपत्र–6) प्राप्त होने पर निर्वाचन अधिकारी उस पर उसके प्राप्त होने का दिनांक, समय अंकित करेंगे **[देखे नियम–15(1)]**।

किसी भी ऐसे प्रत्याशी को, जिसने **प्रपत्र–6** पर उम्मीदवारी वापस लेने का नोटिस दिया हो, उक्त नोटिस रद्द करने का अधिकार नहीं होगा।

निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवार से नोटिस **(प्रपत्र–6)** प्राप्त होने के पश्चात् उस नोटिस पर दिनांक एवं समय अंकित करेंगे। निर्वाचन अधिकारी प्रपत्र–6 में उम्मीदवारी वापस लेने की सूचना (नोटिस) प्राप्त होने पर उसकी यथार्थता तथा सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान के संबंध में कि वह वही उम्मीदवार है, समाधान होने के पश्चात् उम्मीदवारी वापस लेने की सूची यथास्थिति **प्रपत्र–7प तथा प्रपत्र–7न** मे तैयार करायेंगे और कार्यालय के सूचना पट्ट पर चिपकवायेंगे और इसकी प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को भी प्रेषित करेंगे।

नियत दिनांक व समय सीमा के पश्चात् यदि कोई उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की नोटिस (प्रपत्र–6) देता है तो उस पर निर्वाचन अधिकारी ध्यान नहीं देंगे।**[नियम–15(1)]**

उम्मीदवारों की नाम वापसी के पश्चात् निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या निर्धारित पदों की संख्या से अधिक हो तो निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा।**[नियम–15(2)]**

उम्मीदवारों के नाम हिन्दी में देवनागरी लिपि के वर्णमाला क्रम में यथास्थिति **प्रपत्र–8प, प्रपत्र–8न**, में तैयार किए जायेंगे। **प्रपत्र–8प, प्रपत्र–8न** में उम्मीवारों का नाम तथा पता वही होगा जो नामांकन पत्र में उल्लिखित है। उक्त **प्रपत्र–8प, प्रपत्र–8न**, की एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर चिपकवाकर प्रकाशित करायेगें तथा एक प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित करेंगे।

11–निर्विरोध निर्वाचन [नियम–15(2)]

नाम वापसी होने के उपरान्त उम्मीदवारों की सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी यह देखें कि यदि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले पदों के बराबर या उससे कम है तो वह तुरन्त उनको निर्वाचित घोषित कर देगा तथा **प्रपत्र–15** पर प्रमाण पत्र जारी कर देगा और निर्वाचित उम्मीदवार के नाम की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को देगा। जिला निर्वाचन अधिकारी तत्काल निर्विरोध निर्वाचित सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार सूची राज्य निर्वाचन आयोग तथा राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।

यदि कोई नामांकन न हुआ हो अथवा नाम–निर्दिष्ट सभी व्यक्ति उम्मीदवारी से अपनी–अपनी उम्मीदवारी वापस ले लें तो समस्त कार्यवाहियां नये सिरे से प्रारम्भ की जायेंगी, मानो वह किसी नये निर्वाचन के लिए हो।

12–वैध नाम निर्देशन पत्रों की सूची और उनका प्रकाशन

उम्मीदवार के नामों की वापसी यदि कोई हो, के पश्चात निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक सूची **प्रपत्र–8प, 8न** पर तैयार करेगा और उसकी सूचना कार्यालय के सूचना पट पर चिपकायेगा**[नियम–16(1)]**।

निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची देवनागरी लिपि में तैयार की जायेगी और उसमें निर्वाचन लड़ने वालों के नाम देवनागरी वर्णमाला क्रम में उनके पते के साथ दिये जायेंगे**[नियम–16(2)]**।

13–मतदान केन्द्र/स्थल तथा मतपेटिका

यदि मतदान की स्थिति आती है तो मतदान विनिर्दिष्ट दिनांक तथा समय पर जिले के मुख्यालय पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना में अंकित स्थान (मतदान केन्द्र) पर होगा। ऐसे नियत स्थान की सूचना निर्वाचन अधिकारी अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर चिपकवाकर उसकी प्रतियां जिला पंचायत मुख्यालय तथा जनपद के सभी नगर निकायों को भेजेंगे एवं एक प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित करेंगे। मतदान केन्द्र के अन्तर्गत जिला पंचायत तथा नगरीय निकायों हेतु अलग–अलग कम से कम एक–एक मतदान स्थल निर्धारित कर लिया जाय। मतदान स्थल किसी भी दशा में अस्थायी निर्माण में स्थापित नहीं किया जायेगा और सामान्यतः 60 मतदाताओं के लिए एक मतदान स्थल की स्थापना की जायेगी। इसकी सूचना निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोग को दी जायेगी।

14–मतदान की प्रक्रिया

निर्वाचन में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा। मतदाताओं द्वारा मत स्वयं ही डाले जायेंगे और कोई मत प्रतिनिधित्व मतदान द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। **(देखे नियम–17)।**

प्राकृतिक आपदा अथवा नियंन्त्रण के बाहर हो चुकी कानून व्यवस्था को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से प्रारम्भ की गई मतदान प्रक्रिया स्थगित नहीं की जायेगी।

यदि कोई मतदाता निरक्षरता अथवा शारीरिक अशक्तता के कारण मतपत्र को पढ़ने में या उस पर अपना मत अंकित करने में असमर्थ हो तो उसे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अशक्तता के पुष्ट प्रमाण होने की दशा में सहायक दिया जा सकेगा, किन्तु एक ही व्यक्ति एकाधिक मतदाताओं के लिए सहायक नहीं बन सकेगा **(नियम–18)।**

निर्वाचन में उपयोग किये जाने वाले मतपत्र जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये **प्रपत्र–9प सफेद रंग एवं** नगर निकायों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिये **प्रपत्र–9न गुलाबी रंग** में होगें और निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम उसमें देवनागरी लिपि में उसी क्रम में दिये जायेंगे जिस क्रम में यथास्थिति **प्रपत्र–8प तथा प्रपत्र–8न** में प्रकाशित निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में होंगे**(देखे नियम–20)।** मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम तथा मोहर लगाये जाने वाले स्थान का आकार इस प्रकार रखा जाये कि मत अंकित करने हेतु 2X4 सेमी0 का स्थान उपलब्ध रहे।

मतदान में मतपेटी तथा मतपत्रों पर मत अंकित करने के लिये तीर के निशान वाली (एरोक्रास)रबर की मोहर एवं अमिट स्याही वही प्रयोग में लायी जायेगी जो त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन में प्रयुक्त होती है।**(देखे नियम–20)।** मतपेटी सील करने तथा मतपेटी खोलने में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन में अपनायी जाती है।

प्रत्येक मतदान स्थल पर एक सहायक रिटर्निंग आफिसर की तैनाती की जायेगी और उसकी सहायता के लिए 03 उपयुक्त राज्य सरकार के कार्मिक तैनात किये जायेंगे जिन्हें क्रमशः मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय तथा मतदान अधिकारी तृतीय कहा जायेगा। मतपत्र जारी करने से पूर्व सहायक रिटर्निंग आफीसर प्रत्येक मतपत्र के निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करेगा। **सहायक रिटर्निंग आफीसर के हस्ताक्षर के बिना जारी किया गया मतपत्र अवैध समझा जायेगा तथा उसमें प्रदत्त मतों की गिनती नहीं की जायेगी।**

मतदान अधिकारी प्रथम मतदाता सूची अपने पास रखेगा और मतदाता की पहचान के बारे में संतुष्टि करके, उसके नाम के क्रमांक पर सही(✓)का चिन्ह लगाने तथा मतदाता सूची पर मतदाता का हस्ताक्षर अथवा निरक्षरता की स्थिति में निशानी अंगूठा प्राप्त करने में सहायक रिटर्निंग आफिसर की मदद करेगा। मतदान अधिकारी द्वितीय अमिट स्याही लगाने, मतपत्र के प्रतिपर्ण पर मतदाता का हस्ताक्षर अथवा निशानी अगूँठा प्राप्त कर, मतपत्र देने में सहायक रिटर्निंग आफिसर की मदद करेगा। मतदान अधिकारी तृतीय मतपत्र में निर्धारित संख्या

.....6

में उम्मीदवारों को चुनने के लिये कितने नाम के सामने बने स्थानों पर मतदाता मोहर लगा सकता है, की जानकारी देने तथा मतपत्र को मोड़ने व मतपत्र मतपेटी में डाले जाने की कार्यवाही में सहायक रिटर्निंग आफिसर की मदद करेगा।

मतदान प्रारम्भ होने के ठीक पहले सहायक रिटर्निंग आफिसर ऐसे उम्मीदवारों को जो मतदान के स्थान पर उपस्थित हों, मतदान में प्रयोग में लायी जाने वाली मतपेटी का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग आफिसर निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर सभी व्यक्तियों को मतदान स्थल से बाहर रखेगाः–

(क) उम्मीदवार;

(ख) अन्य ऐसे व्यक्ति, जिन्हें रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदान कराने में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए पहले से ही नियुक्त किया गया हो; तथा

(ग) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत किये गये व्यक्ति;

रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग आफिसर मतदान की निर्धारित समय–सीमा समाप्त होने पर मतदान स्थल को बन्द कर देगा और उसके बाद वहॉ किसी मतदाता को प्रवेश न करने देगाः

प्रतिबन्ध यह है कि सभी ऐसे मतदाताओं को जो मतदान स्थल के भीतर समय सीमा समाप्त होने तक उपस्थित हों, अपना मत देने का अधिकार होगा।

सहायक रिटर्निंग आफिसर अपने समक्ष जिला योजना समिति की निर्वाचक नामावली रखेगा और किसी मतदाता को मतपत्र दिये जाने के ठीक पहले उस मतदाता सूची में उसके नाम के सामने सही (✓) का एक चिन्ह बना देगा। किसी मतदाता को मत–पत्र दिये जाने के पूर्व सहायक रिटर्निंग आफिसर उस मतदाता की पहचान के बारे में अपना समाधान कर लेगा और इस प्रयोजन के लिए वह ऐसे व्यक्ति की सहायता ले सकता है, जिन्हे वह ठीक समझें।

यदि किसी व्यक्ति की पहचान के बारे में सहायक रिटर्निंग आफिसर का समाधान न हुआ हो, तो वह उन परिस्थितियों की संक्षिप्त टिप्पणी, जिनमें सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदाता को मत–पत्र देने से इंकार किया गया हो, अभिलिखित करने के पश्चात उसे मतपत्र देने से इंकार कर सकता है।

जैसे ही मतदान अवधि समाप्त हो जाये, सहायक रिटर्निंग आफिसर मत–पत्रों के प्रतिपर्णो को एक लिफाफे में रखेगा और उसे सील बन्द करके उस पर मोहर लगायेगा। निर्वाचन सम्बन्धी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा **(नियम–23)**।

यदि किसी असावधानी के कारण मतदाता ने अपने मत–पत्र को इस प्रकार प्रयुक्त किया हो कि वह मत–पत्र के रूप में सुविधा पूर्वक प्रयुक्त न हो सके तो वह उसे सहायक रिटर्निंग आफिसर को वापस कर देगा। इस प्रकार की असावधानी के बारे में उसका समाधान होने पर, मतदाता वापस किये गये मत–पत्र के स्थान पर दूसरा मत–पत्र प्राप्त कर सकेगा। मतदाता द्वारा इस प्रकार वापस किये गये मत–पत्र तथा उसके प्रतिपर्ण पर यह टिप्पणी अंकित की जायेगी **"वापस किया गया और रद्द किया गया"**। इस प्रकार रद्द किया गया मतपत्र इस प्रयोजन के लिए पृथक रखे गये लिफाफे में रखा जायेगा। यदि कोई मतदाता अपना मत अंकित करने के प्रयोजन से मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात उसका प्रयोग न करने का निश्चय करे तो वह उस मतपत्र को सहायक रिटर्निंग आफिसर को वापस कर देगा तथा वह उस पर **"वापस किया गया तथा रद्द किया गया"** अंकित कर देगा और इसे भी उक्त पृथक से रखे लिफाफों में रखेगा।

प्रत्येक मतदाता जिसे इन नियमों के अधीन मतपत्र जारी किया गया हो, मतदान केन्द्र के भीतर मतदान की गोपनीयता को बनाये रखेगा और इस प्रयोजन के लिए इसमें आगे दी गयी मतदान प्रक्रिया का पालन करेगा।

प्रत्येक मतदाता के पास उतने मत होंगे जितनी निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या हो। निर्वाचन अधिकारी **प्रपत्र–9प व 9न** में मतांकन हेतु निर्धारित मतों की संख्या अंकित करेंगे किन्तु कोई भी मतपत्र केवल इस कारण से अवैध नहीं माना जायेगा कि मतदाता द्वारा निर्धारित पदों की संख्या में चुने जाने वाले ऐसे सभी मत चिन्हित नहीं किये गये हैं, परन्तु निर्धारित पदों की संख्या से अधिक मत अंकित करने पर मतपत्र अवैध हो जायेगा।

प्रत्येक मतदाता जिला पंचायत क्षेत्र के उतने उम्मीदवार चुनेगा जितने उसके लिये निर्धारित हों। इसी प्रकार नगरीय निकायों के मतदाताओं को भी क्षेत्रवार मतपत्र दिये जायेंगे। प्रत्येक क्षेत्र के मतपत्र पर अपनी पसन्द के उतने उम्मदवारों को मतदान कर सकेगा जितने उसके लिये निर्धारित हैं।

मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात्, मतदाता मतदान स्थल पर बने और बाहर से न दिखने वाले मतदान कक्ष में जायेगा तथा अपने मतपत्र में जिन उम्मीदवारों को वह चुनना चाहता है उनके नाम के सामने निर्धारित स्थान पर एतदर्थ उपलब्ध कराई गई मोहर लगायेगा। अपने मत को छिपाने के लिए मतपत्र को मोड़ लेगा तथा मुड़े हुए मतपत्र को इस प्रयोजन के लिए रखी मतपेटी में डालेगा; तत्पश्चात मतदान स्थल को छोड़ देगा। प्रत्येक मतदाता अनावश्यक विलम्ब किये बिना मतदान करेगा। किसी मतदाता के मतदान कक्ष के भीतर मौजूद रहने की स्थिति में किसी अन्य मतदाता को उसके अन्दर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। किसी मतदाता के द्वारा अनुरोध किये जाने पर निर्वाचन अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग आफिसर मत अंकित करने के लिए मतपत्र में दिये गये अनुदेशों को उसे समझायेगा।

यदि कोई ऐसा मतदाता जिसे मतपत्र जारी किया गया हो, सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा चेतावनी दिये जाने के पश्चात ऊपर दी गयी प्रक्रिया का अनुपालन करने से इंकार करता है, तो उसे जारी किया गया मतपत्र चाहे उसने उस पर अपना मत अभिलिखित किया हो या नहीं, सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा उससे वापस ले लिया जायेगा और मतपत्र वापस लिये जाने के पश्चात सहायक रिटर्निंग आफिसर उसके पीछे शब्द **"रद्द किया गया; मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन"** अभिलिखित कर देगा और उन शब्दों के नीचे अपना हस्ताक्षर और दिनांक अंकित करेगा।

ऐसे सभी मत–पत्रों को जिन पर शब्द **"रद्द किया गया; मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन"** अभिलिखित किया गया हो, एक पृथक आवरण, जिसके ऊपर शब्द **"मतपत्र; मतदान प्रक्रिया उल्लंघन"** लिखा गया हो, में रख दिया जायेगा।

ऐसा मत, यदि कोई हो, जिस पर उपर्युक्त **"रद्द किया गया मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन"** लिखा हो उनकी गणना नहीं की जायेगी।

मतदान समाप्त होने के तुरन्त बाद मतपत्र विवरण **प्रपत्र–10** में तैयार किया जायेगा।

15–मतगणना की प्रक्रिया

मतदान समाप्त होते ही निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और उन मतदाताओं की उपस्थिति में, जो उपस्थित हों, मतों की गणना प्रारम्भ करेगा **[देखे नियम–21(1)]**।

निर्वाचन अधिकारी मतपेटी खेलेगा और मतों को निकालकर मतपत्रों को गिनेगा और उनकी संख्या एक विवरण पत्र में लिख लेगा, मतपत्रों की जॉच करेगा और उनमें से ऐसे मतपत्रों को जो प्रथम दृष्टया वैध/अवैध हों, को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर दोनों को अलग–अलग रखेगा और यह निर्धारित करेगा कि किस उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए हैं साथ ही कुल मतपत्र जो अस्वीकृत किये गये हैं उनको अलग–अलग लिफाफों में सुरक्षित करेगा **[देखे नियम–21(2)]** ।

16–बराबर मतों की स्थिति में:–

उत्तराखण्ड शासन, पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–246/XII/92(5)/2007 दिनांक 31.03.2010 के अनुसार मतों की गणना समाप्त होने के पश्चात किन्हीं उम्मीदवारों के बीच मतों की समानता हो और मतों में एक मत जोड़ दिये जाने से उन उम्मीवारों में से कोई एक उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किये जाने के लिए हकदार हो जाये तो निर्वाचन अधिकारी उन उम्मीदवारों के बीच पर्ची डालकर तत्काल निश्चित करेगा और ऐसी कार्यवाही करेगा मानों जिस उम्मीदवार की पर्ची निकले उसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ हो।

.....8

17–निर्वाचन परिणाम की घोषणा

मतगणना समाप्त हो जाने और मतदान–परिणाम अवधारित हो जाने पर निर्वाचन अधिकारी तुरन्त उपस्थित लोगों के समक्ष निर्वाचन परिणाम की घोषणा कर देगा तथा **प्रपत्र–16** पर प्रमाण पत्र जारी कर देगा और राज्य निर्वाचन आयोग तथा राज्य सरकार को निर्वाचन परिणाम की सूचना देगा(**नियम–22**)

निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन परिणाम अवधारित करने के लिये जिला पंचायत एवं नगरीय क्षेत्रों से अलग–अलग अवरोही क्रम में सदस्यों की संख्या के अनुरूप अधिकतम संख्या में मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करेगा।

किन्हीं दो या दो अधिक उम्मीदवारों के बीच मतों की समानता होने पर निर्वाचन अधिकारी उन उम्मीदवारों के बीच पर्ची डालकर तत्काल विनिश्चिय करेगा और ऐसी कार्यवाही करेगा मानों, जिस उम्मीदवार के नाम की पर्ची निकले उसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ हो तो उसे विजयी घोषित कर दिया जायेगा।

18–निर्वाचन सम्बन्धी अभिलेख की अभिरक्षा

निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख सीलबन्द करके मुख्य विकास अधिकारी, को सुरक्षित अभिरक्षा हेतु भेज देगा जो उसे उस समय तक रखेगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाये।

19–निर्वाचन सम्बन्धी विवादों का निपटारा

निर्वाचन सम्बन्धी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे नियम–23 के अनुसार राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा(**नियम–23**)

संलग्नक–प्रपत्र उक्तानुसार।

(बिपिन चन्द्र चन्दोला)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या– 113 /रा0नि0आ0अनु0–3/612/2005,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला योजना समिति), उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड।
8. समस्त सचिव (जि0यो0स0)/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
10. समस्त संयुक्त सचिव (जि0यो0स0)/जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निजी सचिव, मा0 राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाइल अनुभाग–3

आज्ञा से

(एच0बी0 थपलियाल)
संयुक्त सचिव।